

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 1932 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अप्रैल 07, 2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय-

जनपद-रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नव सिर्जित राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (कुण्डादानकोट) के भवन निर्माण हेतु संशोधित क्षेत्रफल 0.99 है० (पूर्व में 2.00 है०) वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के संबंध में।

प्रस्ताव सं०- FP/UK/OTHERS/44711/2020

सन्दर्भ-

भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक की पत्र संख्या- IRO-DDN/FRCM/01/2022 दिनांक 01.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अपने पत्रांक 3057/12-1(2) दिनांक 17.03.2025 से अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रस्ताव में दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न FRCM की बैठक के एजेन्डा नं०-02 हेतु लिये गये निर्णय के अनुसार वांछित 03 बिन्दुओं की सूचना प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता, रूद्रप्रयाग द्वारा परिवेश पोर्टल के पार्ट-I के संबंधित पैरों एवं additional information detail में ऑनलाईन अपलोड करते हुये पत्रांक-613/भूमि ह०/2024-25 दिनांक 22.02.2025 से उनके कार्यालय को प्रेषित किया गया, तथा प्रभाग स्तर से वांछित सूचना परिवेश पोर्टल के पार्ट-II के संबंधित पैरों एवं additional information detail में ऑनलाईन अपलोड की गई है, जो निम्नवत् है-

क्र०	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	उत्तरालेख			
1	Looking into the significance of Govt. Polytechnic collage in hilly district, it was directed to User Agency to revise the proposal for 0.99 ha area in one patch and all necessary/relevant documents shall be uploaded on Parivesh Portal accordingly.	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है कि- उक्त निर्देशों के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में संशोधित क्षेत्रफल 0.990 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वांछित विवरण/अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये निम्न प्रकार संलग्न कर प्रस्तुत किये गये हैं।			
		क्र.सं.	प्रपत्र का नाम	प्रपत्र संख्या	संलग्नक
		1	प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट	प्रपत्र-4	(संलग्नक-1)
		2	परियोजना के डिजिटल एवं टोपोशीट मानचित्र।	प्रपत्र-6 व 7	(संलग्नक-2 व 3)
		3	लैण्ड रौड्यूल	प्रपत्र-11 व 11.1	(संलग्नक-4)
		4	परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण	प्रपत्र-12	(संलग्नक-5)
		5	प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण	प्रपत्र-15 15.6	(संलग्नक-6)
		6	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र	प्रपत्र-17 से 17.1	(संलग्नक-7)
		7	एन०पी०वी० आंकलन तथा लीज अवधि प्रमाण पत्र	प्रपत्र-42 व 45	(संलग्नक-8 व 9)
		8	ले-आउट प्लान/मदवार विवरण	प्रपत्र-25	(संलग्नक-10)

JAIDEEP

क्रमशः पेज 02 पर

0/2

2	The details of CA over 2.00 ha along with CA scheme, KML file and suitability certificate shall be submitted and uploaded on Parivesh Portal.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित संशोधित क्षेत्रफल 0.990 है, जो कि 1.00 है से कम है। अतः प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रभावित 0.990 है वन भूमि पर काटे जाने वाले कुल 20 वृक्षों के दस गुना अर्थात् $20 \times 10 = 200$ पौधों के रोपण एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु वृक्षारोपण प्राक्कलन (संलग्नक-11), रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र (संलग्नक-12), तथा वृक्षारोपण हेतु चयनित आरक्षित वन क्षेत्र का गूगल मानचित्र (संलग्नक-13), परिवेश पोर्टल के पार्ट-II के additional information detail में ऑनलाईन अपलोड करते हुये संलग्न कर प्रेषित हैं।
3	The DFO shall submit a fresh Site Inspection Report (SIR) as per the current ground situation/violation including the detail of the trees proposed to be affected in the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में प्रभावित संशोधित क्षेत्रफल 0.990 है वन भूमि के अनुसार संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-14),

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक:- 1932/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)

वन संरक्षक

गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी